

झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची  
सी०एम०पी० संख्या-132/2019

अबुल फैज, पे०-नूरूल हक, उम्र लगभग 45 वर्ष, निवासी-खान रोड, खिरगांव (लेपो रोड), डाकघर,  
थाना एवं जिला-हजारीबाग ..... याचिकाकर्ता

बनाम्

1. हसीना खातून, पत्नी-स्वर्गीय अजीम खान, निवासी-खान रोड, खिरगांव (लेपो रोड), डाकघर, थाना एवं जिला-हजारीबाग
2. विजय कुमार, पे०-श्री शिव नंदन राम, निवासी-मुहल्ला कुम्हारटोली, डाकघर, थाना एवं जिला-हजारीबाग ..... उत्तरदातागण

**कोरम:** माननीय न्यायमूर्ति श्री सुजीत नारायण प्रसाद

याचिकाकर्ता के लिए : श्री अफाक अहमद, अधिवक्ता।

उत्तरदातागण के लिए : कोई नहीं।

02/12.03.2019 यह सिविल विविध आवेदन डब्ल्यू०पी० (सी०) सं०-4603/2018 में पारित आदेश दिनांक 31.01.2019 में संशोधन के लिए दायर किया गया है, जिसके द्वारा और जहां कुछ टंकण त्रुटि इस आशय की हुई है कि 'आवेदन' के स्थान पर दूसरी पंक्ति में, 'अपील' अंकित किया गया है, जबकि द्वितीय पैराग्राफ की पहली पंक्ति में 'ऑर्डर XXXIX' के स्थान पर, 'ऑर्डर XXXI' टाईप किया गया है, इसलिए, इसे सुधारने की मांग की गई है।

इस तरह के सबमिशन को देखते हुए और निवेदन किए गए संशोधन की प्रकृति को देखते हुए यह स्पष्ट है कि 02 वीं पंक्ति में कुछ टाइपोग्राफिकल त्रुटि हुई है, जिसमें, 'आवेदन' के स्थान पर 'अपील' टाईप की गई है, जबकि दूसरे पैराग्राफ की पहली पंक्ति में, 'ऑर्डर XXXIX' के स्थान पर 'ऑर्डर XXXI' टाईप किया गया है, इसलिए, इसे इस आशय से ठीक किया गया है कि दूसरी पंक्ति में 'अपील' को 'आवेदन' द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा और दूसरे पैराग्राफ की पहली पंक्ति में, 'ऑर्डर XXXI' को 'ऑर्डर XXXIX' द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।

डब्ल्यू०पी० (सी०) सं०-4603/2018 में पारित आदेश दिनांक 31.01.2019 को इस हद तक संशोधित किया जाता है, जैसा कि यहाँ ऊपर बताया गया है।

तदनुसार, इस सिविल विविध आवेदन का निपटान किया जाता है।

(सुजीत नारायण प्रसाद, न्याया०)